

Form No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, श्री डूंगरगढ  
विनोदकुमार पुत्र शिवप्रसाद सिखवाल (ब्राह्मण) निवासी डूंगरगढ बनाम जनरल  
अयूब वगैरहा

मुकदमा अन्तर्गत धारा 53,188 RTAet नम्बर 92 सन् 2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
30.4.2013	<p>आज यह वाद विनोदकुमार ने जरिये श्री मोहनलाल सोनी <del>एकी</del> अभिभाषक के मार्फत पेश किया । वाद दर्ज रजिस्टर हों । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 14.6.2013 को पेश हों ।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ</p> <p>14.6.2013 एकीक काली नप. / ननु. वकील प्रतिवात वपु. / ननु. / एम. साहब प्रमद : वकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त है / पर है । पत्रावली वास्तु तलबी के विषय दिनांक - 21.6.2013 को पेश हो ।</p> <p>21.6.2013 पत्रावली पेश हुई! वकील <u>वकील फरीक</u> उपस्थित ! <u>तलबी</u> हेतु समय चाहा! समय बिना जाकर पत्रावली वास्तु <u>तलबी</u> आयन्दा दिनांक <u>8.7.2013</u> को पेश हों!</p> <p>8.7.13 <del>पत्रावली</del> पेश हुई! आज बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है! पत्रावली वास्तु <u>तलबी</u> आयन्दा दिनांक <u>18.7.2013</u> को पेश हों!</p> <p>6.9.2013 दिनांक 18.7.2013 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली पेश हुई! आज बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है! पत्रावली वास्तु <u>तलबी</u> आयन्दा दिनांक <u>24.9.2013</u> को पेश हों!</p> <p>24.9.13 पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी की तरफ से फा.फा. आदेश। नियम 10 व 15 (CPC) का पार्श्वना पत्र प्रस्तुत कर अनुयेद्य किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2,3,4 ने अपना दृष्टि बॉम्बे बिल्डर्स को विरुध कर दिया है और रेकॉर्ड में बॉम्बे बिल्डर्स का नाम अंकित हो गया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी</p>	



शेख्या 2 रेजना प्रतिकादी शेख्या 3 का नाम हटाया जाना आवश्यक हो गया है तथा बॉम्बे विल्डर्स को इस दावा में आवश्यक पत्रकार है। अतः प्रतिकादी शेख्या 2, 3, 4 का नाम विलोपित किया जावे व प्रतिकादी शेख्या बॉम्बे विल्डर्स को बतौर संयोजित करने का भिवेदन किया है। पत्रावली अणामी कार्यवाही हेतु आयचा दिनांक 8-10-2013 को पेश हो। वादी के पार्श्व पत्र पर प्रतिकादी शेख्या 2, 3, 4 का नाम विलोपित किया जाता है तथा बॉम्बे विल्डर्स को प्रतिकादी के रूप में संयोजित करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय में राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 83/2013 पूर्व में ही इसी अनवान का चल रहा है अतः पत्रावली को मुकदमा नम्बर 83/2013 के संलग्न किया जावे।



पत्रावली पेश हुई! वकाल..... वकील फरीकन  
 उपस्थित !..... हेतु समय चाहा! समय  
 दिया जाकर पत्रावली पीस्टे.....  
 आयचा दिनांक..... को पेश हों।

16.5.2014 पत्रावली पेश तारीख पेश की दिनांक पेश  
 हुई। पत्रावली तमाम लोन न किमा गभा। पुं. न.  
 83/2013 अनवान में. बॉम्बे विल्डर्स वनाम  
 अमुक ज दिनांक 8.08.2016 जे पारिमे  
 राजाना मिताया किमा जातु जे है। अतः  
 एम नवा वाय ज मिताया आपसी रापनिने से  
 होने में काया वाय ज अमुक जे किमा मिम नदी  
 रहे है, मि हाजा वाय वायी इति राट पर वाकि  
 किमा जाता है। पत्रावली वाय मिमि वामरा  
 मिमि मिमि वामरा वायिल वफर हो  
 मिमि मिमि इपलाम रुनामा गभा।

3  
 उमा मिमि ल  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्री इं. ग. ग. (बोकानेर)